झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1167 वर्ष 2017

नरेन्द्र कुमार सिंह, स्वर्गीय राम उदित सिंह, निवासी–न्यू बिशुनपुर, डाकघर–बी0 पॉलिटेक्निक, थाना एवं जिला–धनबाद। .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण अपने प्रबंध निदेशक, लूबी सर्कुलर रोड, डाकघर एवं थाना–धनबाद, जिला–धनबाद के माध्यम से।
2. सचिव, खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लूबी सर्कुलर रोड, डाकघर एवं थाना–धनबाद, जिला–धनबाद .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री संजय प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाता–माडा के लिए:– श्री भवेश कुमार और रवि कुमार, अधिवक्तागण

02/06.03.2017 पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता, जो शोधक पर्यवेक्षक (प्रशासनिक विभाग), माडा, धनबाद के पद पर काम कर रहा था और 31.12.2016 को सेवानिवृत हुए। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, समूह बीमा और अन्य लाभों जैसे सेवानिवृत्ति के बाद के बकाये को ब्याज के साथ उसे अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, हालांकि उसने एम0ए0डी0ए0 के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुलग्नक–2 दिनांक 26.12.2016, 09.01.2017 और 09.02.2017 के द्वारा अभ्यावेदन दिया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याची के अभ्यावेदन के जवाब में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, इसलिए याची ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याची को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याचियों की शिकायतों पर विचार कर सकता है।

5. ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि मामला याचिकाकर्ता के कुछ सेवानिवृत्ति के बाद के बकायों और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नए अभ्यावेदन पेश करने की अनुमति देकर रिट याचिका का निपटान किया जाता है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 कानून के अनुसार इस पर विचार करेगा और अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, उसके बाद 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेगा, जिसे याची को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और वे सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया राशि और अन्य सेवा लाभों के कारण कानूनी रूप से स्वीकार्य बकाया राशि पाने का हकदार है, तो प्रतिवादियों द्वारा बनाई गई योजना के

अनुसार वैधानिक ब्याज के साथ ही इनका संवितरण किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू है।

6. तदनुसार, रिट याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)